रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2014/माघ 30, 1935
No. 387] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2014/MAGHA 30, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2014

का.आ. 463(अ).—जबकि भारत सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजाति (डीएनटी), जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य के बीच फैली हुई हैं, की शैक्षिक और आर्थिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है । सरकार का एक मूल सिद्धांत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य उपेक्षित वर्गों को शिक्षा और रोजगार में विशेष रूप से पूर्ण समानता का अवसर प्रदान करना है ।

2. जबकि, दिनांक 14 मार्च, 2005 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए गठित आयोग ने कतिपय अनुशंसाएं की थी; और

3. जबकि, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने भी 2011 में विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियों के संबंध में एक उप समूह गठित किया था, उसने भी डीएनटी की सामाजिक-आर्थिक दशाओं को सुधारने से संबंधित मसले पर विचार किया था और डीएनटी के लिए अनुशंसाओं की एक विस्तृत सूची भी प्रस्तावित की है ।

4. इसलिए, अब, भारत सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति की राजपत्र अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए एक आयोग का गठन करने का संकल्प किया है । आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होगा ।

5. इस आयोग के निम्नलिखित विचारणीय विषय होंगे।

(क) विमुक्त और घुमंतू जनजातियों से संबंधित जातियों की एक राज्यवार सूची तैयार करना।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूचियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची की राज्यसूची में विमुक्त तथा घुमंतू जनजातियों की पहचान करना।

(ग) विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की जातियों की पहचान करना जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में तथा पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं की गई हैं और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित क्रियाविधियों पर निर्भर करते हुए इन सूचियों में समावेशन के लिए उनके मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(घ) उन डीएनटी स्थानों की पहचान करना जहां डीएनटी संख्या का घनत्व है।

(ड) संघ और राज्यों के अंतर्गत विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(च) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के संबंध में किए जाने वाले उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

(छ) कोई अन्य संबंधित कार्य जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विनिर्दिष्ट करे।

6. आयोग ऐसी सूचना, जिसे वह अपने प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा किंहीं अन्य प्राधिकरणों, संगठनों अथवा व्यक्तियों से अनिवार्य अथवा संगत समझे, प्राप्त करेगा और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं से विशिष्ट अनुसंधान और मूल्यांकन करवाने के कार्य को आउटसोर्स कराएगा।

7. आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से कार्यकरण की अपनी स्वयं की क्रियाविधि तैयार करेगा और जैसे ही और जब-कभी आवश्यक समझे, भारत के किसी भाग का दौरा कर सकता है।

8. आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. 16014/2/2014-बीसी-III]

गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th February, 2014

S.O. 463(E). —Whereas the Government of India has been seized of the educational and economic needs of the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs), who are spread amongst Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and others. One of the basic principles of the Government is to provide for full equality of opportunity, particularly in education and employment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and marginalized sections.

2. Whereas, the Commission set up vide Gazette Notification dated 14th March, 2005 had made certain recommendations; and

3. Whereas, the National Advisory Council also constituted a Sub-Group on Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes in 2011, which also deliberated on the issues relating to improving the socio-economic conditions of the DNTs and also proposed a detailed set of recommendations for the DNTs.

4. Now, therefore, Government of India has resolved to constitute a Commission for a period of three years from the date of Gazette Notification of appointment of the Chairperson. The Commission shall comprise of one Chairperson, one Member and one Member Secretary.

5. The Commission shall have the following Terms of Reference :—

(a) To prepare a State-wise list of castes belonging to Denotified and Nomadic Tribes.

(b) To identify the castes belonging to Denotified and Nomadic Tribes in the Lists of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Central List/State List of Other Backward Classes.

(c) To identify the castes belonging to Denotified and Nomadic Tribes which have not been included in the Lists of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Central List of Other Backward Classes and to pursue their case for inclusion in these lists depending on the modalities laid down for the purpose.

(d) To identify the places where DNTs are densely populated.

(e) To evaluate the progress of the development of Denotified and Nomadic Tribes under the Union and the States.

(f) To suggest appropriate measures in respect of Denotified and Nomadic Tribes to be undertaken by the Central Government or the State Government.

(g) Any other related work as may be assigned by the Ministry of Social Justice & Empowerment.

6. The Commission shall obtain such information, as they may consider necessary or relevant for their purpose from the Central Government, the State Governments and any other authorities, organisations or individuals and outsource the specific research and evaluation studies in the concerned State/Union Territories to the reputed Research institutes.

7. The Commission shall device its own procedure of working with prior approval of the Central Government and may visit any part of India as and when considered necessary.

8. The Commission shall submit its report within three years from the date of appointment of the Chairman.

[F. No. 16014/2/2014-BC-III]

GHAZALA MEENAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.